भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2521
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्था का विकेंद्रीकरण

2521. श्री रामभुआल निषादः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर स्थापित पंचायती राज संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायतें सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में विफल रही हैं;

(ग) क्या सरकार पंचायत अध्यक्ष और पंचायत अधिकारी द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारी और कर्तव्यों की कोई निगरानी करती है;

(घ) क्या सरकार सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) में गांवों से लेकर जिला स्तर तक व्याप्त भ्रष्टाचार से अवगत है; और

(ङ) भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है | भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, किसी भी राज्य के विधानमंडल को योजना तैयार करने के संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर, पंचायत पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधान करने का अधिकार देता है, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रुप में कार्य

करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हे सोपी जाएं, जिनके अंतर्गत वें स्कीमें भी है, जो संविधान की ग्यारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध विषयो के संबंध में है। राज्य के विधानमंडल को पंचायत पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। पंचायतों का प्रदर्शन संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते है, की सीमा पर निर्भर करता है| तदनुसार, पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण, पंचायत में रहने वाले लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना या पंचायत पदाधिकारियों द्वारा निर्वहन की जाने वाली जिम्मेदारी और कर्तव्यों की निगरानी करना सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ।

जहां तक पंचायती राज मंत्रालय का सवाल है, इस मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रो में लागू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सक्षम बनाना है ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें ।

देश भर में पंचायती राज संस्थाओ के कामकाज को मजबूत करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित संपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओ को केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण और पंचायतों को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है। पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करके ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। योजना वर्ष/वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 2,54,773 ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक विकास योजनाएँ (GPDPs) तैयार की हैं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की हैं। इसके अलावा, पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट और उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन- 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। ऑडिटऑनलाइन पोर्टल, जो अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया, केंद्रीय वित्त आयोग के धन के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है।

(घ) और (ङ) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश ने यह सूचित किया है कि जनपद सुलतानपुर में वर्ष 2021 में नयी ग्राम पंचायतों के गठन के उपरान्त ग्राम प्रधानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों, उप-प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के अन्तर्गत कुल 114 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें सभी 114 शिकायतों में नियमावली के प्राविधानों के अनुसार जिला स्तरीय

अधिकारी जांच अधिकारी नामित किये गये। उक्त शिकायतों में से कुल 36 जांच आख्याएं प्राप्त हुई जिनमें से 17 शिकायतें निराधार पाई गईं। शेष 19 शिकायतें जिनमें ग्राम प्रधान दोषी पाये गये थे, के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्गत नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर ग्राम प्रधान का उत्तर सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण 10 ग्राम प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। जिसमें 2 प्रकरणों की अन्तिम जांच आख्या प्राप्त होने पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि न होने पर उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिये गये। 1 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश के क्रम में ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिये गये। 7 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अन्तिम जांच की कार्यवाही की जा रही है। 9 प्रकरणों में उत्तर प्राप्त न होने के कारण अभी प्रकरण विचाराधीन हैं।

उक्त प्रकरणों में कुल 9 ग्राम पंचायत सचिव दोषी पाये गये जिनमें 4 के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गयी है तथा शेष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

*****